

सरकार बनाम शीशराम वगै०
मु०नं० 311/2015
प्रार्थना पत्र 212 आरटीए

दिनांक - 12.11.2020 प्रार्थी तहसीलदार व वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं बहस सुनी गई अप्रार्थी का तर्क है कि भूमि हाल खसरा न० 178 मौजा ग्राम भापर को अप्रार्थी द्वारा कृषि के रूप में काम में ली जा रही है। अप्रार्थी भूमि ख०न० 178 रकबा 1.84 है० की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं कर रखा है। अप्रार्थी ने भूमि ख०न० 178 में कोई सिमेंटेड रोड़ व पीलर आदि नहीं बना रखा है तथा ना ही कोई निर्माण कार्य कर रखा है अप्रार्थी ने उक्त भूमि में कोई प्लॉटिंग नहीं कर रखी है। प्रार्थी/वादी का यह कथन अस्वीकार है कि अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों व टिनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं बिना सहपरिवर्तन के आदेश के भूमि कि किस्म परिवर्तन किया है। अप्रार्थी ने भूमि का कोई किस्म परिवर्तन नहीं किया है तथा नाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन किया है। अप्रार्थी ने राजस्थान सरकार को राजस्व हानि का नुकसान नहीं किया है।

उक्त आस-पड़ौस के लोगो की झूठी शिकायत के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी को गलत एवं मिथ्या सूचना दी गई है। तहसीलदार सूरजगढ़ (प्रार्थी) द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा न० 178 के भूमि के 90 ए राजस्थान राजस्व अधिनियम के तहत गैर कृषि प्रयोजन के लिये उक्त भूमि के रूपान्तरण के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर रखी है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार सूरजगढ़ (प्रार्थी) द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा न० 178 के भूमि के 90 ए राजस्थान राजस्व अधिनियम के तहत गैर कृषि प्रयोजन के लिये उक्त भूमि के रूपान्तरण के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर रखी है। इसलिए अप्रार्थीया के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2015 वेकेट किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता मूल दावे के संलग्न रहे।



(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़